7

पंचायती राज तथा ग्रामीण एवं शहरी विकास

विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वित की देखरेख करने और पंचायत राज संस्थाओं की विभिन्न गतिविधियों को विनियमित और समन्वयित करने के लिए जिम्मेदार है। शहरी क्षेत्र में विकास गतिविधियों को मुख्य रूप से शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों अर्थात नगर समितियों, नगर परिषदों और नगर निगमों के माध्यम से चलाया जाता है।

राजस्व अर्जन योजना

7.2 यह योजना राज्य में ग्राम पंचायत/पंचायत समितियों की वित्तीय स्थिति में वृद्वि करने और इस वित्तीय सहायता को ग्राम पंचायत/पंचायत समितियों के लाभ के लिए अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1957–58 से जारी है। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत/पंचायत समितियों को नलकूप, शामलात भूमि पर पम्पिंग सेट, बस स्टैंड पर दुकान निर्माण एवं स्टाफ क्वार्टर निर्माण आदि के लिये ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। ऋण की वसूली 30 वार्षिक किश्तों में की जाती है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और वर्ष 2023–24 के लिए भी 2 करोड रूपये का प्रावधान रखा है।

मैचिंग ग्रांट योजना

7.3 मैचिंग ग्रांट के तहत राज्य में लडकियों के स्कूल, लडकियों के कॉलेजों और छात्रावासों के मामले को छोडकर सार्वजनिक योगदान के रूप में उनके द्वारा जुटाई गई राशि दो बार वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस योजना ने लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। ग्रामीण लोग स्वयं परियोजनाओं के प्रति जागरूक होते है और उत्तराधिकारी सार्वजनिक योगदान देते हैं तथा परियोजना के कार्यान्वयन से जुडे होते हैं इस योजना से लोगों को बडी अनुभूति प्राप्त होती है तथा प्रत्येक वर्ष अनुदान में वृद्वि होती है। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और वर्ष 2023–24 के लिए भी 5 करोड रूपये का प्रावधान रखा है।

राज्य वित्त आयोग

7.4 इस स्कीम के अतंर्गत संबंधित पंचायत समिति/जिला परिषद की पी.पी.पी. (परिवार पहचान पत्र) जनसंख्या के अनुसार ही धन जारी किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 21–22 के दौरान क्रमशः 1,340 करोड रुपये का कोष, 1,715 करोड रूपये का कोष स्वीकृत किया गया था। परन्तु वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान मात्र 254.61 करोड़ रूपये जारी किये गये थे और वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पंचायती राज

संस्थाओं को कोई निधि जारी नहीं की गई थी। चालू वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 1,630 करोड रुपये की निधि, जिसमें से प्रथम किश्त रूपये इस कार्यालय के स्वीकृति आदेश दिनांक 01–06–2022 द्वारा राज्य स्तर पर खोली गई योजना के एस.एन.ए. में 407.50 करोड रूपये जमा/जारी किए गए हैं और वर्ष 2023–24 के लिए भी 1,799 करोड रूपये का प्रावधान रखा है।

पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय सहयाता

7.5 राज्य सरकार ने करों/शुल्कों/शुल्कों के बटवारे के संबंध में राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और प्रिंस को केंद्रीय अनुदानों की भी सिफारिश की है। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए दिंनाक 26–05–2019 को 5वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। इस योजना के तहत वर्ष 2023–24 के लिए प्रावधान के रूप में 908 करोड रूपये की राशि रखी गई है।

7.6 प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 31–05–1994 को की गई थी। वित्त अयोग का अवार्ड पे 1997–98 से 2000–01 था। राज्य सरकार ने करों शुल्कों/शुल्कों को साझा करने के संबंध में राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और पी.आर.आई. को केंद्र अनुदान की भी सिफारिश की है। दूसरा दक्षिण वित्त आयोग 06–09–2000 को स्थापित किया गया था और तीसरा राज्य वित्त आयोग 22–12–2015 को स्थापित किया गया था। चौथा राज्य वित्त आयोग 16–04–2020 को था। 5वें राज्य वित्त आयोग 26–05–2021 को पी.आर. आई.एस. की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 के लिए टोल प्रावधान के रूप में 231 करोड की राशि रखी गई है।

15वां वित्त आयोग अनुदान

7.7 यह अनुदान केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार धनराशि जारी की जा रही है। निधियों को टाईड और अनटाईड घटक के रूप में जारी किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान इस योजना के तहत बजट प्रावधान 935 करोड रुपये का था, लेकिन एम.ओ. पी.आर. ने केवल 467.50 करोड रुपये ही राज्य को वितरित किये। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 968 करोड रुपये का बजट प्रावधान, पंचायती राज मंत्रालय, सरकार द्वारा किया गया है जिसमे से 187 करोड रुपये की राशि, एम.ओ. पी.आर. से इस पत्र संख्या 04–01–2023 द्वारा प्राप्त किया गया है, जोकि जारी करने की प्रक्रिया में है और वर्ष 2023–24 के लिए 979 करोड रूपये का प्रावधान रखा है।

दीनबन्दु ग्राम उदय योजना

7.8 यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाडी, वी.के.सी., जी.वी.एच. और जी.वी.डी. के निर्माण के लिए शुरू की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं और 53.76 करोड रूपये चालू वित्त वर्ष यानी 2022–23 के दौरान इस योजना के तहत जारी किये गये हैं और वर्ष 2023–24 के लिए 200 करोड रूपये का प्रावधान रखा है।

महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना

7.9 यह योजना महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत विकसित कॉलोनी में बिजली और अन्य सुविधा बिछाने के लिए वार्षिकी राशि प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 30 करोड़ का प्रावधान इस स्कीम में किया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान

ग्राम पंचायतों के भूमि उपयोग के बदले वार्षिकी निधि के रूप में 7,44,22,300 रूपये (20–06–2022) + 4,62,30,000 रूपये (29–08–2022) राशि जारी की गई। इस कार्यालय आदेश सं. 134835, दिनांक 27–09–2022 के तहत इस योजना के तहत विकसित बस्तियों का विश्लेषण करने के लिए संबंधित प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है. यह समिति इन बस्तियों का सर्वेक्षण भी करेगी और आवश्यक विकास की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और वर्ष 2023–24 के लिए भी 30 करोड रूपये का प्रावधान रखा है।

हरियाणा स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना

7.10 इस योजना के तहत 10,000 या 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सीवरेज सिस्टम बिछाया जाता है। निर्णय के अनुसार सीवरेज सिस्टम डालने के लिए पंचायत विभाग केवल गांव को चयनित करके प्रशासनिक स्वीकृति देता है। अब तक 131 से अधिक गांवों को महाग्राम योजना में शामिल किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री के बजट भाषण 2021–22 के दौरान यह भी निर्णय लिया गया है कि महाग्राम गांवों में स्ट्रीट लाइट और कैमरे लगायें जायेंगे इस संबंध में अक्षय ऊर्जा विभाग को लिखा जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 10 करोड रुपये का बजट प्रावधान सामान्य घटक में है 10 करोड रुपये का बजट प्रावधान इस योजना के तहत एस.सी घटक में किया गया है और वर्ष 2023–24 के लिए सामान्य घटक 10 करोड रूपये व एस.सी घटक 10 करोड रूपये भी का प्रावधान रखा है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

7.11 इस स्कीम के तहत हरियाणा को वर्ष 2021–22 के दौरान उपलब्ध निधि से 24. 85 करोड रूपये में से 7.90 करोड़ रूपये खर्च किये गये और 17.89 करोड रूपये शेष है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान शेष बजट 17.89 करोड रूपये में से लगभग 2.25 करोड़ रूपये खर्च कर दिया गया है। इसके अलावा 279.51 करोड़ रूपये का बजट एमओपीआर, सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2023–24 के लिए राज्य हिस्सा 12 करोड रूपये व केन्दीय हिस्सा 18 करोड रूपये भी का प्रावधान रखा है।

स्वामित्व योजना

7.12 स्वामित्व योजना एक प्रमुख योजना है, यानी लाल डोरा मुक्त हरियाणा के लगभग 6,260 गाँव 24,54,265 संपत्ति कार्ड/संपत्ति प्रमाण पत्र हरियाणा के 6,251 गाँव 02–01–2023 तक लगभग 6,260 गाँव पहले ही इस योजना के अंतर्गत आ चुके हैं।

हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण

7.13 इस स्कीम के तहत वर्ष 2021–22 हेतु 40 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021–22 में एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। साथ ही वर्ष 2022–23 हेतु 50 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। ग्राम इसराना, जिला पानीपत में मॉडल कॉलोनी विकसित करने के लिए 11.04 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और वर्ष 2023–24 के लिए भी 50 करोड रूपये का प्रावधान रखा है।

हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार

7.14 माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा 7–स्टार रेनबो योजना के तहत लगभग 86 करोड रूपये पुरस्कार धनराशि के रूप में दिया गया था। ग्राम पंचायतों को राशि एच.आर.डी.एफ.ए बोर्ड द्वारा दी गई थी, जिसकी भरपाई बोर्ड को करनी है। अब तक, 53 करोड रुपये की धनराशि पूर्वोक्त योजना और निधि से वसूल किया गया है जिसमें लगभग 33 करोड़ रूपये देय है जो संशोधित बजट में अनुरोध किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए, यदि कोई नई योजना अर्थात, ब्लॉकों का प्रदर्शन विकास सूचकांक

स्वीकृत हो जाता है, तो इस मद को बरकरार रखा जा सकता है, इसलिए टोकन का प्रावधान है। योजना बजट मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 40 करोड रूपये के प्रावधान में से कुल 40 करोड रूपये खर्च किये जा चुके है ताकि स्कीम बंद न हो और वर्ष 2023–24 के लिए 1 करोड रूपये का प्रावधान रखा है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

7.15 इस योजना के तहत राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के अनुसार किया गया है। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स एसबीएम–जी और एसबीएम–यू दोनों की गतिविधियों की देखभाल करेगी। इसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 4 आधिकारिक सदस्य और 10 गैर–सरकारी सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा दो और शिक्षाविदों/पेशेवरों को अलग से नामित किया जाना है। वर्ष 2022–23 के लिए 51 लाख रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया है। एस.एल.टी.एफ. का खर्च एस.बी.एम.–जी. और एस.बी.एम.–यू. द्वारा 50:50 रूपये के अनुपात में वहन किया जाएगा। और वर्ष 2023–24 के लिए 1 करोड रूपये का बजट रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन को लागू करना, विभिन्न कार्यो के लिए गैर सरकारी संगठनो को शामिल करके स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन बनाने।

हरियाणा ग्रामीण विकास योजना

7.16 इस योजना का उद्देश्य है इसे समाज कल्याण विभाग पंचायत विभाग चौपालों को बढ़ावा देने का उद्देश्य समुदायों को अपने सामुदायिक कार्यों जैसे विवाह, त्योहारों को मनाने के लिए एक सामान्य थाली–रूप प्रदान करना और सामान्य महत्व के मुद्दों पर चर्चा करना है इस योजना का उद्देश्य गांवों का विकास जैसे गलियों, जल निकासी, सामुदायिक केंद्र, श्मशान घाट तालाबों को बांधना और बनाए रखना आदि। 10,000 से कम जनसंख्या (लगभग 6,282 गाँव) होने पर 619.72 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई जिसमें से 113.07 करोड रूपये वर्ष 2022–23 के लिए खर्च किये गये और वर्ष 2023–24 के लिए 850 करोड रूपये का बजट रखा गया है।

नये प्रखंड कार्यालय भवनों का नव निर्माण/नवीनीकरण/मुरम्मत करना

7.17 राज्य में खंडों की संख्या 126 से बढ़ाकर 144 कर दी गई है। समुचित एवं कुशल कार्यप्रणाली के लिए यह आवश्यक है कि किराये के भवनों में स्थित खंड कार्यालय जिला परिषद कार्यालयों को उनके अपने भवन उपलब्ध कराये जायें। इसके अतिरिक्त 28 नये खंड भवनों में से 20 का कार्य पूर्ण किया गया, 6 खंड भवनों का कार्य प्रगति पर, 2 का कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया। 73 में से ग्राम सचिवालय भवनों में 63 का कार्य पूर्ण किया गया, 6 भवनों का कार्य प्रगति पर है एवं 4 का कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया। 11 ग्राम पंचायत भवन में से प्रगतिरत 5 जिला परिषद भवनों में से का कार्य 3 पूर्ण किया गया और 2 का कार्य प्रगति पर हैं। 2 पंचायत भवन में से 1 मुख्यालय में का कार्य पूर्ण किया गया तथा हिसार में 1 का कार्य अभी में प्रगति पर है। वर्ष 2022–23 के लिए 100 करोड रूपये का बजट रखा गया है और वर्ष 2023–24 के लिए भी 100 करोड रूपये का प्रावधान है।

ग्रामीण विकास के लिए ग्राम युवा स्वयंसेवकों के बीच जागरूकता

7.18 इस योजना के तहत गांवों में स्वयंसेवकों के रूप में युवाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। अब तक लगभग 17,000 स्वयंसेवकों का चयन किया जा चुका है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वयंसेवक बनने के लिए प्रेरित करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से, समावेशी और सतत सामाजिक, मानव और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण समुदाय में बदलाव के सूत्रधार बनने की उनकी

क्षमता का निर्माण करना है। वर्ष 2022–23 के लिए 3,50 करोड रूपये का बजट रखा गया है और वर्ष 2023–24 के लिए 3.50 करोड रूपये का बजट रखा गया है।

अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम

7.19 यह योजना गांधी जयंती 2 अक्टूबर, 2017 को शुरू की गई थी। गांवों में सामान्य साफ–सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। सफाई कर्मचारियों की संख्या गांवों की जनसंख्या के आधार पर 1–6 के बीच होगी। पूरे राज्य में लगभग 11,475 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान 250 करोड रूपये का बजट रखा गया है और वर्ष 2023–24 के लिए 250 करोड रूपये का बजट रखा गया है।

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान–नीलोखेड़ी

7.20 यह योजना भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों के साथ 50:50 साझेदारी के आधार पर प्रायोजित है। यूरोपीय अर्थव्यवस्था समुदाय की सहायता से देश भर में ग्रामीण विकास के राज्य संस्थानों की स्थापना के लिए भारत सरकार की योजना के अनुसरण में। एच.आई.आर.डी. की स्थापना 1991–92 में इस विभाग के वर्ग–1 और वर्ग–2 अधिकारियों के साथ–साथ अन्य विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगे हुए हैं। वर्ष 2022–23 के लिए 5 करोड रूपये (2 करोड रूपये राज्य का हिस्सा और 3 करोड रूपये केंद्र का हिस्सा) का बजट रखा गया है। अब राज्य स्कीम भी अगले वित्त वर्ष के लिए शुरू की गई है और वर्ष 2023–24 के लिए भी 5 करोड रूपये का बजट रखा गया है।

स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण

7.21 पुर्नगठित कार्यक्रम में प्रोत्साहन राशि की कुल लागत 12,000 (9,000 केंद्रीय हिस्सा तथा 3,000 राज्य हिस्सा) के रूप में लाभार्थी को पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण और उपयोग पर दिया जाता है। आधार–सीडड बैंक सी.एस. (व्यक्तिगत रूप से एस.एल.डब्ल्यू.एम. परियोजना, गोबर्धन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर और सामुदायिक परियोजनायें आदि)। इस तरह की सहायता लाभार्थी/गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) की पहचान करने वाले/सभी अनुसूचित जातियों, छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों के घर, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला मुखिया वाले परिवारों को प्रदान की जाती है। स्कूल शौचालयों के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को 2 लाख रूपये की कुल लागत का 10 प्रतिशत योगदान देना है और आंगनवाड़ी शौचालयों को 02–12–2014 से क्रमशः प्राथमिक शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य खुले में शौच के दुष्प्रभाव के बारे में ग्रामीण समुदाय को जागरूक करना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एस.बी.एम.जी. एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित है। वर्ष 2022–23 के लिए सामान्य योजना के तहत 122 करोड रूपये में से (50 करोड रूपये राज्य हिस्सा और 72 करोड रूपये केंद्र हिस्सा) की राशि तथा एस.सी. एस.पी. घटक के तहत 45 करोड रूपये के बजट परिव्यय में से (25 करोड रूपये राज्य का हिस्सा और 20 करोड रूपये केंद्र का हिस्सा) रखा गया है और वर्ष 2023–24 के लिए भी 167 करोड रूपये का बजट रखा गया है।

ग्राम पंचायत

7.22 इस योजना के तहत केन्द्रीय परिव्वय वित्त आयोग की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतों के लिए संयुक्त अनुदान 391.60 करोड रूपये रखा गया है। केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों/पंचायत समिति/जिला परिषद को 75:15:10 के अनुपात में धनराशि के आधार पर

जनसंख्या को 80 प्रतिशत और क्षेत्रफल के आधार पर 20 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराई गई। 15वें वित्त आयोग, भारत सरकार ने अनुशंसा की है कि निधियां केवल पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की जानी चाहिए। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021–22 से 2023–24 तक है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, संबंधित कानून के तहत उन्हें सौंपे गए कार्यों के भीतर सेवाओं के लिए धन का उपयोग किया जा सकता है। जल आपूर्ति, स्वच्छता सहित सीपेज प्रबंधन, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि पर केंद्रीय वित्त आयोग 50:50 के बराबर अनुपात में मूल अनुदान और सहबद्व अनुदान के रूप में अनुदान प्रदान कर रहा है। वर्ष 2022–23 के लिए 391.60 करोड रूपये का परिव्यय रखा गया है।

ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

7.23 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में 19–01–2023 तक 368.50 करोड रूपये की राशि व्यय करके 44.26 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है जिनमें से 38.81 लाख मानव दिवस अनुसूचित जातियों के लिए व 44..26 लाख महिलाओं के लिए सृजित किए गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2022–23 के दौरान 125 लाख मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वार्षिक योजना 2023–24 के लिए 450 करोड़ रूपये का परिव्यय केन्द्र (75 प्रतिशत) व राज्य (25 प्रतिशत) सरकार के हिस्से के रूप में साम्रग्री तथा प्रशासनिक व्यय के लिये किया गया है।

विधायक आदर्श ग्रम योजना

7.24 इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में 19–01–2023 तक तक चयनित गांवों के लिए 17.76 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है तथा 174 कार्य पूर्ण किए जा चुके है। वार्षिक योजना 2023–24 के लिए 180. 20 करोड़ रूपये का परिव्यय राज्य सरकार के हिस्से के रूप में स्वीकृत किया गया है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

7.25 इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022–23 में 19–01–2023 तक पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल चयनित 10 कलस्टरों में 150 गांव शामिल किये गये तथा 56 कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा 56.30 करोड़ रुपये (केन्द्र 41.54 करोड रूपये कृटीकल गैप फंड व राज्य 14.76 करोड रूपये कन्वर्जन्स आरडी) की राशि खर्च की गई है। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक योजना 2023–24 के लिए 100 करोड़ रूपये की राशि केन्द्र व राज्य के हिस्से के रुप में राशि स्वीकृत की गई है।

प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना

7.26 प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना राज्य के 8 जिलों में लागू की जा रही है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2022–23 में 19–01–2023 तक कुल 6.77 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वाटरशैड स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2021–22 में कुल 9 केन्द्रीय प्रयोजित परियोजनाएं जिनका लगभग कुल बजट 80.59 करोड रूपये है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2023–24 के लिए वाटरशैड विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत कुल 40 करोड रूपये की राशि (14.40 करोड रूपये केन्द्र एवं 25.60 करोड रूपये राज्य के हिस्से के रुप) में प्रस्तावित की गई है।

दीन दयाल अन्तोदय योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)

7.27 इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022–23 में 19–01–2023 तक 5,602 स्वयं

सहायता समूह बनाये गए हैं। कुल 4,408 स्वयं सहायता समूहों को कुल 8.15 करोड रूपये की परिक्रामी राशि दी गई है। इसी प्रकार वर्ष के दौरान 5,361 स्वयं सहायता समूहों के लिए 34.77 करोड़ रुपये की राशि सामुदायिक राशि के दी गई तथा कुल 45.77 करोड रूपये की राशि खर्च की गई है।

स्टार्ट–अप विलेज एंट्रेप्रीन्योरशिप प्रोग्राम (एस.वी.ई.पी.)

7.28 स्टार्ट–अप विलेज एंट्रेप्रीन्योरशिप प्रोग्राम का कुल उद्देश्य ग्रामीण उद्यमों को शुरु करने और सहायता करने के लिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और गरीबी व बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को लागू करना है। वर्ष 2022–23 में 19–01–2023 तक के दौरान 743 उद्यमों को योजना के गहन कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया है तथा कुल 1.29 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है।

दीन दयाल उपाध्याय –ग्रामीण कौशल योजना

7.29 इस योजना भारत के ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रदान करने के लिए है। यह योजना निजी सार्वजनिक भागीदारी मॉडल पर काम करती है और यह राशि राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन के माध्यम से की जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022–23 के दौरान 19–01–2023 तक कुल 23.80 करोड़ रूपये की राशि 3,945 उम्मीदवारो को प्रशिक्षित करने में खर्च की गई है।

दीन दयाल अन्तोदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

7.30 इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत वार्षिक योजना 2023–24 के लिए 210 करोड़ रूपये की राशि केन्द (60 प्रतिशत) व राज्य (40 प्रतिशत) सरकार तथा आर.सेटी. के अंतर्गत 5 करोड रूपये की राशि 100 प्रतिशत केन्द्र के हिस्से के रूप में प्रस्तावित की गई है।

सांसद स्थानीय विकास योजना

7.31 इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक लोक सभा, राज्य सभा तथा मनोनित सदस्य को एक वर्ष में 5 करोड़ रूपये की राशि प्रगति कार्यो के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2022–23 के दौरान 19–01–2023 तक इस योजना के अन्तर्गत कुल 22.30 करोड रूपये की राशि खर्च की गई है व 152 कार्य पूर्ण किये गये।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

7.32 राज्य के 7 जिलो के 15 खण्डो नामतः सिरसा (ओडान, डबवाली, बारागुढा, ऐलनाबाद) मेवात (नूँह, फिरोजपुर झिरका, नगीना, पुन्हाना) यमुनानगर (छछरौली) कुरुक्षेत्र (पेहवा) कैंथल (गुहला, सिवान) फतेहाबाद (रतिया, जाखल) व पलवल (हथिन) में लागू की जा रही है, जिनमें अल्पंसख्यक आबादी 25 प्रतिशत और उससे अधिक है। इस योजना के तहत वर्ष 2022–23 के दौरान 19–01–2023 तक 4.22 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य (60:40) के हिस्से के रुप में 100 करोड़ रुपये का बजट वर्ष 2023–24 के लिए प्रस्तावित की गई।

शहरी स्थानीय निकाय

7.33 शहरी स्थानीय निकाय स्वशासन की महत्वपूर्ण संस्थाएँ है, जो शहरी क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना और नागरिक सुविधाए प्रदान करती है। मुख्य रुप से शहरी समाज में हरियाणा का स्थिर परिवर्तन अब एक जनसांख्यिकीय, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकता है। शहरी क्षेत्रों मे रहने वाले 35 प्रतिशत से अधिक लोगो के साथ, राज्य भारतीय संघ में उच्च शहरीकृत राज्यों में से एक है। किसी भी शहरीकृत और औघोगिक अर्थव्यवस्था के साथ, शहरी केन्द्र गतिविधियों और

विकास के केंद्र है। राज्य भर में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ विकास पैटर्न प्रमुख शहरी गलियारों के साथ एक सत्रिहित शहरी विकास का है, जिसके परिणामस्वरुप ग्रामीण शहरी विभाजन कम हो गया है। गलियारों के साथ इस तरह के एक क्लस्टर विकास का प्रभाव शहरी स्थानीय निकायों पर शहरी विकास और सेवा वितरण की चुनौती का जवाब देने के लिए दबाव है और आने वाले वर्षो में एक चुनौती होगी। इस प्रकार 1991 में इसकी आबादी 24.6 से बढकर वर्ष 2001 में 28.93 प्रतिशत और वर्ष 2011 में 34. 8 प्रतिशत हो गई।

7.34 शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगर निगम अधिनियम 1994 नगर पालिका अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से पूरे राज्य में शहरी आबादी को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में राज्य में 90 नगर पालिकांए है, जिनमें से 11 नगर निगम, 23 नगर परिषद और 56 नगर पालिकायें शामिल हैं।

7.35 शहरी स्थानीय निकाय विभाग का बजट प्रावधान पिछले वर्षो से काफी बढ़ा है, चालू वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान शहरों का निर्माण और उन्नयन्न पर जोर देने के लिए राज्य के बजट में 6,525.21 करोड रुपये की राशि रखी गई है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

7.36 स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार समुदाय को विशिष्ट स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबंद्व है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, हरियाणा सरकार द्वारा 71,000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल.) बनाने के रिवाईज्ड लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 66,462 (93.61 प्रतिशत) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। 4,081 (100 प्रतिशत) सामुदायिक शौचालय सीटों (सी.टी.) तथा 6,313 सार्वजनिक शौचालय सीटों (पी.टी.) के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करते हुए क्रमशः 4,086 (100 प्रतिशत) सामुदायिक शौचालय सीटों (सी.टी.) तथा 6,872 (109 प्रतिशत) सार्वजनिक शौचालय (पी.टी.) सीटों का निर्माण किया जा चुका है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022

7.37 हरियाणा ने स्वच्छ सर्वेक्षण, 2022 में 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया। नगर पालिका बावनी खेडा को 15 हजार से 25 हजार की और धारूहेडा को 25 हजार से 50 हजार आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण, 2022 में नार्थ जोन में (तीव्र गति शहर) के लिये सम्मानित किया गया है। कचरा मुक्त शहर की 3 स्टार रेटिंग के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में नगर निगम गुरूग्राम और रोहतक को रखा गया है। वर्ग 1–10 लाख जनसंख्या अनुसार उच्च देश के 100 शहरों में से रेंटिग के अनुसार हरियाणा के 5 शहरी निकायों में गुरूग्राम–19, रोहतक–38, करनाल–85, पंचकूला–86 और अम्बाला–91 स्थान प्राप्त किया।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

7.38 इस परियोजना का उद्देश्य पूरे राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए ठोस कचरे का 100 प्रतिशत वैज्ञानिक प्रबंधन प्रदान करना है। कुल 13 क्लस्टरों का गठन किया गया है जोकि खुली तकनीक (अपशिष्ट से खाद, आर.डी.एफ., बायो–मिथेनेशन, अपशिष्ट से ऊर्जा और कई अन्य उपयुक्त तकनीक) पर आधारित है। जिसे परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी लेते समय अनुमोदित किया जा सकता है और 22 साल की रियायत अवधि के साथ किया गया है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

7.39 अटल नवीकरण और शहरी परिर्वतन मिशन (अमृत) वर्ष 2015 में शुरू किया गया था

तथा मार्च, 2020 तक पूरा किया जाना था। भारत सरकार द्वारा इस मिशन की समयावधि को बढ़ाकर मार्च, 2023 तक दिया गया है। इस परियोजना के तहत 18 स्थानीय निकायों को शामिल किया गया हैं। भारत सरकार ने इस परियोजना के तहत अमृत मिशन के तहत हरियाणा राज्य के लिए 2,565.74 करोड़ रुपये की राज्य वार्षिक कार्य योजना (एस.ए.ए.पी.) को मंजूरी दी है। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 2,533.91 करोड रूपये की राशि जारी की गई है। एस.एच.पी.एस.सी. एवं एस.एल.टी.सी. द्वारा 2,694.30 करोड रूपये की लागत की 45 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) को अनुमोदित किया जा चुका है।एस.एल.टी.सी. की विभिन्न बैठकों में 55 कार्यों को अनुमोदित किया जा चुका है, जिनकी पूंजीगत लागत 3,101.68 करोड रूपये है जिसमे से 22 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं। कार्यों की भौतिक प्रगति लगभग 85 प्रतिशत है। इन कार्यो के निष्पादन पर अब तक 2,559.33 करोड रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

सीवरेज, जल आपूर्ति, जल निकासी

7.40 जलापूर्ति, सीवरेज और बरसाती पानी के निकासी के लिए नालें की सेवाऐं नगर निगम फरीदाबाद द्वारा 1979 से तथा नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 2013 से देखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 22–06–2017 को आयोजित बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि जलापूर्ति, सीवरेज और बरसाती पानी के निकासी के लिए नालें की सेवाऐं शेष 8 नगर निगमों को जल्द ही परंतु अमृत स्कीम के पूरा होने से पहले ही स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस निर्णय की अनुपालना में जलापूर्ति, सीवरेज और बरसाती पानी के निकासी के लिए पहले चरण में नगर निगम करनाल और सोनीपत द्वारा 16–09–2018 को इन सेवाओं को ले लिया गया था। नगर निगम पानीपत ने 01–09–2022 से इन सेवाओं को ग्रहण किया है तथा वित्त विभाग द्वारा नगर निगमों को सीवरेज, जल आपूर्ति, जल निकासी की सेवाएं नामक नई स्कीम शुरू करने की स्वीकृति दे दी गई हैं। चालू वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान राज्य के बजट में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान इस स्कीम में किया गया है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के तहत अब तक **30.22** करोड़ खर्च किया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन

7.41 भारत सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन शुरु किया गया। भारत सरकार द्वारा यह केन्द्र प्रायोजित योजना के रुप मे संचालित है तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रति शहर 5 वर्ष की अवधि के लिये 100 करोड़ रुपये की वित्तिय सहायता देने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार द्वारा भी समान राशि के रुप में स्मार्ट सिटी में योगदान किया जा रहा है।

अ) फरीदाबाद स्मार्ट सिटी–विशेष उद्देश्य वाहन नामतः फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड दिनांक 20–09–2016 को स्थापित किया गया था, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत किया गया। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कुल 784 करोड़ रुपये, जिसमें 392 करोड़ रुपये भारत सरकार के हिस्से के रूप मे व 392 करोड़ रुपये राज्य सरकार के हिस्से के रुप में जारी किये गये है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत कुल 47 परियोजनायें है जिनकी कुल लागत 932.26 करोड़ रुपये है। 47 परियोजनाओं की कुल राशि 932.26 करोड रूपये जिसमें से 641.82 करोड रूपये की कुल राशि की 25 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है या 90–100 प्रतिशत की भौतिक प्रगति के साथ पूरा कर लिया जाएगा जबकि 290.44 करोड रूपये की राशि की शेष 22 परियोजनाएं निष्पादन के अधीन हैं और दी गई मिशन की समय सीमा से

पहले या 30 जून, 2023 तक पूरा होने की संभावना है।

ब) करनाल स्मार्ट सिटी– करनाल स्मार्ट सिटी के लिए विशेष उद्देश्य वाहन का गठन दिनांक 08–12–2017 को किया गया था तथा के. एस.सी.एल कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत किया गया है। जिनकी कुल लागत 588 करोड़ रुपये है। जिनमें से 294 करोड़ रुपये भारत सरकार के हिस्से के रूप में व 294 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये है करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड कुल 93 परियोजनाऐं जिनकी कुल लागत 956.86 करोड रूपये है । 93 परियोजनाओं में से 263.16 करोड़ रूपए की 60 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है, जबकि 693.7 करोड रूपये की शेष 33 परियोजनाओं निष्पादन के अधीन हैं और दी गई मिशन की समय सीमा से पहले या 30 जून, 2023 तक पूरा होने की संभावना है।

मेरा शहर सर्वोत्तम शहर योजना

7.42 वित्त वर्ष 2021–22 के राज्य के बजट भाषण के दौरान, योजना ''मेरा शहर सर्वोत्तम शहर'' की घोषणा की गई थी जिसमें 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे। राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करने के लिए वित्त वर्ष 2022–23 में पहले ही 1 लाख़ रुपये जारी कर रखे हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने मसौदा दिशानिर्देश तैयार किया तथा विचार व अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका है।

ऑनलाइन नागरिक सेवाएं

अ) सरल पोर्टल

7.43 शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सरल पोर्टल पर 29 सेवाओं को ऑनलाईन शुरू किया है, प्रारम्भिक प्रमुख सेवाएं–जन्म और मृत्यु, विवाह पंजीकरण, भवन निर्माण योजना, अग्रिशमन सेवाएं, जल और सीवर कनेक्शन व बिलिंग और विभिन्न व्यवसाय लाइसेस, वाहन विलेख जारी करना, सामुदायिक केंद्र की बुकिंग।

ब) कोई बकाया नही प्रमाण पत्र

7.44 नो डयूज सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एक पोर्टल शुरु किया गया है, जिसमें नागरिक अपनी संपत्ति के लिए नो डयूज सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकते है। किसी भी बकाया भुगतान के मामले में, भुगतान का विवरण पोर्टल पर दिखाई देता है और नागरिक ऑनलाईन भुगतान कर सकता है।

स) जी.आई.एस.–आधारित संपत्ति कर

7.45 राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में केद्रीकृत जी.आई.एस. आधारित संपत्ति कर सर्वेक्षण किया जा चुका है और आंकडों का अंतिम सत्यापन जारी है।

हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.)

7.46 हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच'ई.डब्ल्यू.पी.) को अनुमान, निविदा, प्रशासनिक और बजट अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति, विक्रेता पंजीकरण, कार्य आंबटन ई–माप पुस्तिका, बिल प्रयंरूकरण और ठेकेदारों को भुगतान से सभी गतिविधियों को करने के लिये (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) का उपयोग कर रहा है।

जी.आई.एस.–डेटाबेस

7.47 जी.आई.एस. डेटाबेस के निर्माण के लिए आंतरिक विकास शुरु किया गया है। नगर सीमा, राजस्व सीमा, नियमित कलौनियों, कालोनी सीमा, वार्ड की सीमा, महत्वपूर्ण भूमि चिन्ह, सडक, सडक नेटवर्क, व्यक्तिगत संपत्तियों की मार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

केन्द्रीय वित्त आयोग

7.48 वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 606 करोड रुपये का बजट प्रावधान किया गया था जिसमें से 362.48 करोड रुपये नगरपालिकाओं को जारी की गई। चालू वित्त वर्ष 2022–23 के

दौरान 477 करोड रुपये का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से पालिकाओं को 83.65 करोड रुपये की राशि जारी की गई है।

राज्य वित्त आयोग

7.49 वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 1,500 करोड रुपये का बजट प्रावधान किया गया तथा जिसमें से 1,351.51 करोड रुपये की राशि नगर पालिकाओं को जारी की गई। चालू वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 1,500 करोड रुपये का बजट प्रावधान किया गया और 833.33 करोड रुपये की राशि पालिकाओं को जारी की गई।

मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना

7.50 यह योजना मूल भूत सुवाधाओ जैसे जल आपूर्ति, सीवेज, सेप्टेज, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस और पार्क, कम्युनिटी सेंटर, स्ट्रीट लाइट, सड़क व गलिया, नाइट शेल्टर, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एस.डब्ल्य.एम.), दूध डेयरी का स्थानांतरण, नगरपालिका कार्यालय के लिए भवन का निर्माण, आवारा पशुओं के पशुबाड़े का निर्माण आदि को प्रदान करने की परिकल्पना करती है। चालू वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 120 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य के बजट में किया गया है जिसमें से 118.23 करोड़ रुपये की राशि हरियाणा राज्य में विकास कार्यों के लिए विभिन्न नगरपालिकाओं को जारी किए गए हैं।

राज्य शहरी विकास प्राधिकरण

7.51 इस स्कीम के तहत शहरी गरीबों को सशक्त आधारभूत स्तर की संस्थानों में संगठित करने, कौशल विकास के लिए अवसर सृजित करने पर जोर दिया जाता है जिससे बाजार आधारित रोजगार प्राप्त होता है तथा आसानी से ऋण सुनिश्चित करके स्व–रोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता मिलती है। मिशन का लक्ष्य शहरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सेवाओं से युक्त आश्रय मुहैया कराना है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर शहरी और समुदाय के स्तर पर एक बाहरी, कटिबद्ध और संवेदनशील सहायता ढांचे की आवश्यकता है ताकि सामाजिक संगठन, संस्थान का निर्माण और जीविका संवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सके।

दीन दयाल अंत्योदया योजना (एन.यू.एल.एम.)

7.52 वित्त वर्ष 2022–23 के राज्य बजट में स्कीम के अन्तर्गत 40 करोड़ रूपये का प्रावधान है जिसमें से 23.71 करोड़ रूपय राज्य बजट में से निकलवा लिए गए हैं। योजना के शुरूआत से अर्थात वर्ष 2014 से 20–12–2022 तक 120.01 करोड़ रूपये का उपयोग स्किम को कार्यान्वयन हेतु किया जा चुका है। हरियाणा के 88 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वे कार्य पूर्ण किया गया जिसके अन्तर्गत 1,04,680 शहरी पथ विक्रेताओं की पहचान की गई। 87 निकायों ने 83,986 सर्टिफिकेट आफ वेंडिग बांट दिये हैं। 55 निकायों ने 25,603 स्मार्ट आई. डी. कार्ड जारी कर दिये हैं तथा 2.51 करोड़ रूपये की राशी का उपयोग किया जा चुका है। विभाग द्वारा राज्य के शहरों/कस्बों में बेघर आबादी का सर्वेक्षण करवाया गया जिसके अन्तर्गत 11,543 शहरी बेघर परिवारों के 19,015 की पहचान हुई तथा 23.84 करोड़ रूपये की राशी का उपयोग करके राज्य में 32 स्थाई आश्रय, 42 अस्थाई आश्रय, 34 पोर्टा कैबिन तथा 26 प्रीफैब्रीकेटेड शैल्टर्स को स्थापित किया जा चुका है।

स्वरोजगार

7.53 स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1. 39 करोड़ रूपये की ब्याज अनुदानित राशी 4,984 लाभार्थियों तथा 72 समूहों को प्रदान की जा चुकी है। 6,674 स्वंय सहायता समूह बनाए गये तथा 4,136 समूहों को रिवाल्विंग फंड प्रदान किया जा चूका है। 29 क्षेत्रिया स्तर फैडरेशन बनाये गये हैं

जिसमें 5.95 करोड़ रूपये की राशी का उपयोग किया जा चुका है। 32.65 करोड़ की राशी का उपयोग करते हुए 32,074 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें से 26,618 अभ्यार्थियों को प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके है तथा 14,601 अभ्यार्थियों को रोजगार दिया जा चूका है और 8,915 अभ्यार्थी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि

7.54 पीएम–स्वनिधि योजना भारत सरकार द्वारा 1 जून, 2020 को विशेष रूप से उन पथ विक्रेताओं के लिए शुरू की गई जिनका कोरोना के दोनो दौर के अन्दर रेहड़ी फड़ी व्यवसाय प्रभावित हुआ है। रेहड़ी पटरी वालो को फिर से अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रथम चरण में 10,000 रूपये की कार्यशील पूंजी दी जाती है एवं इसी क्रम में समय पर ऋण राशि का भुगतान करने के उपरान्त रेहड़ी फड़ी विक्रेता द्वितीय चरण में 20,000 व तृतीय चरण में 50,000 कार्यशील पूंजी ऋण का पात्र हो जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले पथ विक्रेता को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सब्सिडी के अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा भी अतिरिक्त 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सब्सिडी दिया जाना स्वीकृत किया है।

टाउन वेंडिग समितियों का गठन

7.55 शहरी स्थानीय निकायों में टाउन वेंडिग समितियों का गठन किया जा चुका है। हरियाणा में 88 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वेकार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत 1,04,680 शहरी पथ विक्रेताओं की पहचान की गई है। 87 निकायों में 83,986 पथ विक्रेताओं को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिग वितरित किये जा चुके हैं। 55 निकायों में 25,603 स्ट्रीटवेंडर्स को स्मार्ट पहचान पत्र भी जारी कर दीये हैं। 20–12–2022 तक योजना के अन्तर्गत 69,673 ऑनलाईन ऋण आवेदन स्ट्रीटवेंडर्स द्वारा किये गए हैं जिसमें से 44,711 स्ट्रीटवेंडर्स के ऋण आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत कर दिये गए हैं। 36,752 स्ट्रीटवेंडर्स को कार्यशील पूंजी वितरित की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2022–23 के राज्य बजट में स्कीम के अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये का प्रावधान है जिसमें से 13.09 लाख़ रूपये राज्य बजट में से निकलवा लिए गए हैं तथा 11.05 लाख रूपये की अतिरिक्त 2ः प्रतिवर्ष ब्याज सब्सिडी वितरित कर दी गई है।

आवास बोर्ड़

7.56 हाउसिंग बोर्ड़ हरियाणा द्वारा स्थापना वर्ष 1971 के दौरान हाउसिंग बोर्ड़ हरियाणा अधिनियम 1971, संख्या 20 अनुसरण में अस्तित्व में आया। बोर्ड़ का मुख्य उद्धेश्य राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा– निर्देशों के अनुसार जनता को आवंटन के लिए घरो का निर्माण करना है। जोकि समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए घरों के निर्माण पर है। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने वर्ष 1971 में अपनी स्थापना के बाद से 31–10–2022 तक विभिन्न श्रेणियों के 98,160 घरों का निर्माण किया है जिनमें से 73,310 घर बी.पी.एल./ई.डब्लयू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के समाज के लिए है हाउसिंग बोर्ड़ हरियाणा द्वारा अन्य विभागों के लिए भी 1048 आवासों का निर्माण किया गया है। जिनका दिनांक 31–10–2022 को श्रेणीवार आवासों का विवरण दिया गया है।

7.57 इस वित्तीय वर्ष के दौरान 01–04–2021 से 31–03–2022 तक 560 के मकानों बनाये गये और 22.88 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

7.58 वर्तमान सरकार के कार्यकाल वर्ष 2022–23 में तक 117 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा किया गया और दिनांक 31–10–2022 तक 4.60 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

तालिका– 7.1 गृह निर्माण का श्रेणीवार विवरण

वर्ग	घरों की सख्या	प्रतिशत आयु
ई.डब्लयू.एस. के लिए बी.पी.एल.	26,030	26.51
ई.डब्लयू.एस.	13,181	13.42
एल.आई.जी.	34,727	35.38
एम.आई.जी.	12,143	12.37
एच.आई. जी.	4,006	4.09
अन्य	8,073	8.23
कुल	98,160	100.00

स्त्रोत– हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा।

7.59 वित्तीय वर्ष 2022–23 में अब 3,742 विभिन्न श्रेणी के मकानों का निर्माण कार्य विभिन्न स्थानो पर प्रगति पर हैं जिनमें से 637 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 2,769 मकान बी.पी. एल. वर्ग के परिवारों के लिए तथा 336 मकान सेवारत व भूतपूर्व सैनिको एवं अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये वर्ष 2022–23 में 31–10–2022 तक 25.15 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

हाउसिंग फॉर ऑल

प्रधानमन्त्री आवास योजना –शहरी

7.60 आवास तथा शहरी मामलों के मत्रांलय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (पी.एम.ए.वाई.–शहरी) शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को अपने निवास के लिए नया मकान बनाने/खरीदने/विस्तार के लिए सहायता उपलब्ध करवाना है। पी.एम.ए.वाई.–शहरी को निम्नलिखित चार घटकों में विभाजित किया गया हैः लाभार्थी द्वारा स्वंय आवास का निर्माण, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। भारत सरकार द्वारा इस घटक की समय अवधि 31 मार्च, 2022 से आगे नहीं बढ़ाई है, साझेंदारी में सस्ती हाउसिंग, इन–सीटू में स्लम पुनर्विकास। शहरी गरीबों की कमजोर आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत, राज्य सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी की केन्द्रीय सहायता 40 प्रतिशत की दर से राज्य वित्तीय सहायता मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है।

7.61 प्रगति

- लाभार्थी के चयन हेतु वर्ष 2017 में सर्वे किया गया, जिसके अंर्तगत 2,48,657 आवेदकों की पहचान की गई। फिर भी विभाग द्वारा मिशन अवधि के दौरान ए.एच. पी. घटक के अंतर्गत 50,000 मकानों के निर्माण तथा बी.एल.सी. घटक के अंतर्गत 67,649 लाभार्थियों को दिनांक 31.12. 2024 सहायता उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है।
- 67,649 आवास निर्माण लक्ष्य के अन्तर्गत लाभार्थी के स्वयं द्वारा आवास का निर्माण अथवा विस्तार (बी.एल.सी.) घटक के अंर्तगत 12,324 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा 15,769 घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हें 482.96 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। 33,276 लाभार्थियों को मंजूरी पत्र (एल.ओ.आई.) दिए जा चुके हैं।
- ऋण आधारित सब्सिडी योजना (सी.एल. एस.एस.) घटक के अंर्तगत 40,789 लाभार्थीयों को 7,915.36 करोड़ रुपये का होम लोन स्वीकृत तथा 890.54 करोड़ रुपये ही ब्याज अनुदान राशि के रूप में उपलब्ध करवाई गई हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

7.62 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "वर्ष 2022 तक सभी को आवास" प्रदान करने के लिए 01–04–2016 से "इन्दिरा आवास योजना" को "प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण" में परिवर्तित कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत लाभार्थीयो का चयन सामाजिक व आर्थिक जनगणना–2011 की सूची से किया जाता है। मंत्रालय द्वारा 1.56 लाख बेघर, शून्य, 1 व 2 कमरों के कच्चे मकानों में रहने वाले सभी परिवारों की सूची उपलब्ध करवाई गई थी। ये सूचियां ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाई हैं जिनमें से ग्राम पंचायत द्वारा स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करवाये जाने वाले लाभार्थीयों का सत्यापन तथा प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। इस स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17, 2017–2018, 2020–21 तथा 2021–22 के लिये 29,711 मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

7.63 स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता नए मकान के निर्माण के लिए प्रदान करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त, 0.18 लाख रुपये टॉप–अप के रूप में तथा 0.12 लाख रुपये शौचालय के निर्माण हेतु उपलब्ध करवाये जाते हैं। 0.26 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता (मनरेगा स्कीम के अंतर्गत 90 अकुशल श्रम–दिन की मजदूरी) भी उपलब्ध करवाई जाती है। लाभभोगीयों के लिए 70,000 रुपये तक के बैंक ऋण का विकल्प भी है।

प्रगति

7.64 29,711 घरों के विरूद्व, 28,783 घर स्वीकृत किये जा चुके हैं। स्वीकृत घरों में से, 21,768 घरों का निर्माण हो चुका है तथा 7,015 घर निर्माणाधीन हैं। लाभार्थियों को 343.48 करोड़ रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई है।

***